2016 का विधेयक संख्यांक 173

[दि कांस्टिट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान के अनुच्छेद 15 में, खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्.— अनुच्छेद 15 का संशोधन।

5 ''(2क) किसी भी नागरिक को जाति या लिंग के आधार पर साधारण जनता के लिए खुले धार्मिक उपासना के स्थानों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:—इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'धार्मिक उपासना का स्थान' से अभिप्रेत है कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मठ अथवा किसी धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी वर्ग का धार्मिक उपासना का कोई अन्य स्थान, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

ऐसे अनेक मामले होते रहे हैं जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को उनकी जाति के आधार पर पूजा-स्थलों पर जाने से वंचित कर दिया जाता है। हाल ही में, बिना किन्हीं उचित कारणों से महिलाओं को भी पूजा-स्थलों में प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया है। ऐसी प्रथा मानव मूल्यों के प्रति अपमानजनक है। अत: संविधान में ऐसे विनिर्दिष्ट उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी भी नागरिक को जाति अथवा लिंग के आधार पर आम जनता के लिए खुले पूजा-स्थलों पर जाने से वंचित न किया जाए।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
5 जुलाई, 2016
14 आषाढ़, 1938 (शक)

उदित राज

उपाबंध

भारत के संविधान से उद्धरण

* * * * * *

15. (*1*) किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।

(*2*) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के पर—

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश,या

(ख) पूर्णत: या भागत: राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

* * * * * *

लोक सभा

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—1619LS(S3)—26.07.2016.